रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2015/फाल्गुन 11, 1936
No. 122] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2015/PHALGUNA 11, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2015

सा.का.नि.167(अ).–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए.–

(i) उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, हिसार (कृषि एवं सहकारिता विभाग) (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1989, को, जहाँ तक उनका संबंध हिन्दी अनुवादक के पद से है;

(ii) दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, गार्लेदिन्ने, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) (कृषि एवं सहकारिता विभाग), समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उनका संबंध हिन्दी अनुवादक के पद से है;

(iii फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, (कृषि एवं सहकारिता विभाग) सहायक निदेशक (हिन्दी) और सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी, समूह 'ख' (राजपत्रित), भर्ती नियम, 2003, को जहाँ तक उनका संबंध सहायक निदेशक (हिन्दी) के पद से है,

उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों में राजभाषा से संबंधित समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, (समूह 'क' और समूह 'ख' राजभाषा पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.–ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और, उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि.– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.– वह व्यक्ति.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कनिष्ठ अनुवादक	2* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–2, 9300–34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु–सीमा को अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी विषय से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी विषय से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो। और अंग्रेजी से हिन्दी और विपर्ययेन अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में अंग्रेजी से हिन्दी और विपर्ययेन अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो। टिप्पणी 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी: (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :– (1) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – अध्यक्ष (2) अवर सचिव (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य (3) प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – सदस्य (4) प्रभाग या अनुभाग के प्रमुख – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 3, 15600–39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रुपये	चयन	35 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैंड–2, 9300–34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये में ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग –सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग –सदस्य	प्रत्येक अवसर पर इस पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के आधार पर प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तरित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबंध सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध–सरकारी संगठनों के कानूनी और स्वायत्त निकायों से ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4800 रुपये या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में दो वर्ष सेवा की है; (iii) जिन्होंने मूल काडर विभाग में वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में तीन वर्ष सेवा की है और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव हो:– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी विषय से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी विषय से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;		

1001 GI/15-2

या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी विषय से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो। और (ii) हिन्दी में उपयोग या लागू की जाने वाली पारिभाषिकी शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी से हिन्दी या विपर्ययेन अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्यों को अधिमानता दी जाएगी; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी में तकनीकी कार्य अथवा हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीयः किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर संविधान के आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिन्दी भाषा से भिन्न किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या		

वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. 13–4/2011–एम. एवं टी. (प्रशा.)]

बी. बी. भगत,अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2015

G.S.R. 167 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the,-

(i) Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Department of Agriculture and Cooperation) (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to post of Hindi Translator:

(ii) Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne, Anantapur (Andhra Pradesh) (Department of Agriculture and Cooperation), Group 'C' & Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to post of Hindi Translator;

(iii) Farm Machinery Training and Testing Institute, (Department of Agriculture and Cooperation) Assistant Director (Hindi) and Assistant Library Information Officer, Group 'B' (Gazetted), Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to post of Assistant Director (Hindi),

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' posts relating to Official Languages in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:—

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute (Group 'A' and Group 'B' Official Language posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.– The number of said post, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Junior Translator	2* (2015). * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a	Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two year's experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Office, including Government of India Undertakings. **Note 1** : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee [for considering confirmation] :- (1) Director of the Institute concerned - Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1001 GI/15-3

	(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Institute - Member; (4) Head of the Division or Section - Member.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Director (Official Language)	1* (2015). *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted , Non-Ministerial	Pay band-3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 5400/-	Selection.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By promotion, failing which by deputation (including short term contract

(11)	(12)	(13)
Promotion : Junior Translator in pay band -2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- with eight years' regular service in the grade. **Note 1** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1 Chairman or Member of the Union Public Service Commission : Chairman; 2 Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Member; 3. Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation : Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation (including short term contract): Officers from the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory and Autonomous bodies: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service *in the grade rendered* after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band -2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band -2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600/-; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Masters' degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;		

1001 GI/15-4

or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. (ii) Three years' experience of using or applying terminology(terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or Autonomous Bodies or Statutory organizations or Public Sector Undertakings or		

Universities or recognised research or educational institutions; or Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory organisations or Public Service Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions. Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10th level from a recognised board. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note 2** : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis, by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there		

has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. 13-4/2011-M&T (Admn.)]
B.B. BHAGAT, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.